उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–62/2023–24

सरकार

बनाम्

सोहित कुमार वगै0

—: आदेश :—

16/1/24

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला बलबड्डा थाना काण्ड संख्या–62/2022 दिनांक–08.12.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने अपने पत्रांक–1919/अप0शा0 दिनांक–26.04.2023 से धारा–414/34 भा0द0वि0, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत कांड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-0995, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH01AB-5440, 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3121, 4. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17K-9285 एवं 5. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17B-6721 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी स0अ0नि0, ललमटिया के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-0995, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH01AB-5440, 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3121, 4. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17K-9285 एवं 5. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17B-6721, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से कोयला की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–414/34 भा0द0वि0, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-0995, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH01AB-5440, 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3121, 4. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17K-9285 एवं 5. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17B-6721, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–

JH17Z-0995, के मालिक सोहित कुमार, पिता–कैलाश यादव, सा0–लकड़मारा, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3121, के मालिक रोहित कुमार यादव, पे0–प्रमोद यादव, सा0–छोटी लकड़मारा, दोनों थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा, 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17K-9285, के मालिक कैलाश यादव, पिता–सहदेव यादव, सा0–लकड़मारा, थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा, 4. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17B-6721, के मालिक बनवारी लाल अग्रवाल, प्राइ0लिमि0, राजमहल प्रोजेक्ट, ई0सी0एल0, कैम्प–ललमटिया, गोड्डा एवं 5. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH01AB-5440 के मालिक पिन्टु कुमार, पिता–सुरेश यादव, सा0–लकड़मारा, थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा, के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-0995, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH01AB-5440, 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3121, 4. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17K-9285 एवं 5. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17B-6721 एवं उस पर कोयला के विरूद्ध धारा–414/34 भा0द0वि0, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगणा को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षीगण की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी सोहित कुमार का कथन है कि विपक्षी जप्त मोटरसाईकिल का चालक है। उक्त वाहन उसकी माँ के नाम से पंजीकृत है एवं उक्त वाहन का उपयोग निजी कार्य के लिए सभी दस्तावेजों के साथ उपयोग किया जाता है। विपक्षी के वाहन को बिना किसी कारण के जप्त किया गया है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी रोहित कुमार यादव का कथन है कि विपक्षी जप्त वाहन के चालक एवं मालिक है। उक्त वाहन का उपयोग विपक्षी अपने निजी कार्य के लिए करते है एवं उक्त वाहन लोन पर लिया गया है। विपक्षी के वाहन को बिना किसी कारण का जप्त किया गया है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी कैलाश यादव का कथन है कि विपक्षी जप्त वाहन के चालक एवं मालिक है। उक्त वाहन का उपयोग विपक्षी अपने निजी कार्य के

लिए करते है एवं उक्त वाहन लोन पर लिया गया है। विपक्षी के वाहन को बिना किसी कारण का जप्त किया गया है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी पिन्टु कुमार का कथन है कि विपक्षी जप्त वाहन के चालक एवं मालिक है। उक्त वाहन का उपयोग विपक्षी अपने निजी कार्य के लिए करते है एवं उक्त वाहन लोन पर लिया गया है। विपक्षी के वाहन को बिना किसी कारण का जप्त किया गया है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि जप्त वाहन अवैध कोयला के परिवहन में जप्त किया है। इसलिए राजसात किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि धारा–414/34 भा0द0वि0, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-0995, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH01AB-5440, 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3121, 4. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17K-9285 एवं 5. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17B-6721, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण के द्वारा अवैध रूप से कोयला का परिवहन किया जा रहा था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-0995, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH01AB-5440, 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3121, 4. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17K-9285 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, बलबड्डा को दें। एक अन्य के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। उन्हें अंतिम मौका दिया जाता है।

अभिलेख दिनांक–...6/2/24 को उपस्थापित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, गोड्डा   उपायुक्त, गोड्डा।
16/01/24   16/01/24

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.03.14 14:09:41 +05:30
Location: 192.168.1.55